



श्रीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2022	<p>अपी:- श्री कुलवन्त सिंह</p> <p>रेपो 0 : श्री रोहित शर्मा</p> <p>यह पत्रावली तत्कालीन रीडर श्री शक्ति सिंह की कमरा/अलमारी से कार्यालय आदेश क्रमांक प.1/स्था/विविध /52 दिनांक 12.04.2022 से नियुक्त सर्च कमेटी के सदस्यो के सामने प्राप्त हुई। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है। इस पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 28.09.2021 से कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 27.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> संभागीय आयुक्त अजमेर</p> <p>27-06-22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त अधिवक्ता श्री कुलवन्त सिंह उपस्थित। यह बाजदायरी प्रार्थना-पत्र मूल अपील संख्या 197/2008 बउनवान अमरी बनाम सूरतसिंह व अन्य में निर्णय दिनांक 09.06.2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरुद्ध दिनांक 23.06.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया।</p> <p>अपीलान्त अभिभाषक की बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। न्यायहित मे अपीलान्त का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल अपील 197/2008 बउनवान अमरी बनाम सूरत सिंह व अन्य पुनः नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	